

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-----

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 10 जून, 2022

65 साल बाद डीडीए का अब होगा पुनर्गठन

संजीव गुप्ता • नई दिल्ली

अपने गठन के 65 साल बाद डीडीए का पुनर्गठन होने जा रहा है। इससे कार्यप्रणाली में बदलाव आएगा और ऐसा पहली बार होगा, जब हजारों पद कम किए जाएंगे। आउटसोर्सिंग को बढ़ावा मिलेगा और निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ेगी। पुनर्गठन का प्रारूप वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है व केंद्र सरकार की सहमति के लिए केंद्रीय आवास व शहरी विकास मंत्रालय को भेजा जा चुका है।

दिल्ली के विकास और आवास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 1957 में डीडीए का गठन किया गया था। डीडीए ने कई कालोनियां बसाईं, आवासीय योजनाओं के तहत लाखों फ्लैट बनाए। पार्क, सामुदायिक भवन फ्लाइटओवर और शापिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के साथ ही अस्पतालों, स्कूल व अन्य तमाम परियोजनाओं के लिए सरस्ती दरों पर जमीन भी मुहैया कराई। लेकिन, अब डीडीए का कार्यक्षेत्र अपेक्षाकृत कम हो गया है। मार्केट में निजी बिल्डरों के आने से फ्लैटों की मांग भी अब उतनी नहीं रह गई।

145 डिविजन को 102 तक समेटने का प्रस्ताव: डीडीए ने इस पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की भी मदद ली और रिपोर्ट बनवाई।

• वर्ष 1957 में गठन के बाद लगातार होता रहा विस्तार, पहली बार घटाए जाएंगे हजारों पद

• डीडीए इंजीनियर्स एसोसिएशन ने इसके विरोध में उपाध्यक्ष को लिखा पत्र, बुलाई बैठक

डीडीए का पुनर्गठन समय की मांग है। इतने लंबे समय में बहुत कुछ बदल गया है। जनता को बेहतर सुविधाएं देने के लिए हमें भी अपनी कार्यप्रणाली बदलनी होगी। डीडीए पर पड़ रहा अनावश्यक बोझ कम होगा, तो जवाबदेही भी बढ़ेगी। बड़े पद बढ़ेंगे, तो उनकी जिम्मेदारियों में भी इजाजा होगा। छोटे पदों पर आउटसोर्सिंग से बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। पद घटेंगे, तो आउटसोर्सिंग से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

-राजीव कुमार तिवारी, प्रमुख आयुक्त (कार्मिक)

डीडीए का पुनर्गठन जनता के हित में बिल्कुल नहीं है। एक ओर जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रोजगार के नए अवसर सृजित करने की बात करते हैं, वहीं डीडीए ऐसे छह हजार से ज्यादा अवसर खत्म करने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि डीडीए के फ्लैट नो प्राफिट, नो लास के सोच पर बनाए जाते हैं, जिन पर जनता का पूरा भरोसा कायम है। बिल्डर फ्लैट बनाएंगे तो वो महंगे और गुणवत्ता के लिहाज से बहुत मजबूत भी नहीं होंगे।

-परम यादव, अध्यक्ष, डीडीए इंजीनियर्स एसोसिएशन

इसके आधार पर बने प्रारूप के तहत डीडीए की 145 डिविजन को 102 तक समेटने का प्रस्ताव है। छोटे पद लगभग खत्म करने और बड़े पद बढ़ाने की तैयारी है। कुल मिलाकर डीडीए का स्टाफ लगभग आधा कर दिया जाएगा। कमोवेश हर विभाग पर कैंची चलाई गई है। जमीन का अधिग्रहण 1990 से ही बंद है और भविष्य में फ्लैट बनाने से भी हाथ खींचने पर विचार चल रहा है।

आवास की समस्या का समाधान लैंड पूलिंग नीति के तहत निजी बिल्डर करेंगे। डीडीए का रोल सुविधा प्रदाता का ज्यादा रहेगा। हालांकि, विभिन्न परियोजनाओं के लिए डीडीए जमीन की नीलामी आगे भी करता रहेगा।

उधर, डीडीए इंजीनियर्स एसोसिएशन पुनर्गठन के विरोध में उपाध्यक्ष को पत्र लिखा है और 22 जून को अपनी जनरल बाडी की मीटिंग बुलाई गई है।

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
FRIDAY, JUNE 10, 2022

DoE bars private schools built on govt land from hiking fee without approval

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: The Directorate of Education (DoE) has prohibited private schools built on government land from increasing their fee. It has also directed all institutes looking to hike fees for the 2022-23 session to submit a proposal to it first.

A circular issued by DoE director Himanshu Gupta stated, "All pending fee hike proposals submitted by private unaided recognised schools running on land allotted by DDA or other land-owning agencies for the 2020-21 session have become infructuous... such schools can seek prior approval from the director before any increase and may submit their fee hike proposals."

When the pandemic started in 2020, schools were prohibited from charging an-

DOE CIRCULAR SAYS

The proposal submitted by the schools shall be scrutinised and examined by the director of education through any officer or team authorised on this behalf

nual and development charges and could only charge tuition fees. Following a petition in Delhi high court in 2021, they were allowed to charge annual and development charges, but with 15% concession.

Between June 12 and June 27, schools can apply for the fee hike proposal. It will have to be submitted online with complete details of financial records.

Another circular issued by DoE's pri-

private school branch stated, "The proposal submitted by the schools shall be scrutinised and examined by the director of education through any officer or team authorised on this behalf. All such schools are strictly directed not to increase any fee until the sanction is conveyed to their proposal. In case no proposal is submitted in response to this order, the school shall not increase its fee for the academic session 2022-23. Any complaint regarding an increase of any fee without such prior approval will be viewed seriously and action shall be taken as per the statutory provisions and directions of the high court, including a request to DDA for cancellation of the lease deed executed in favour of the defaulter school's society."

There are more than 400 private schools built on government land in the city.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-----

DATED-----

हिन्दुस्तान

नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली | शुक्रवार, 10 जून 2022

रेरा पंजीकरण की फिर कोशिश में डीडीए

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अपनी आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं को रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) में पंजीकृत कराने के लिए नए सिरे से प्रयास कर रहा है। अब तक रera के नियमों पर खरा नहीं उतरने के कारण डीडीए की 14 परियोजनाओं को अस्वीकृत किया जा चुका है। इसमें बीते वर्षों में आई पांच आवासीय योजनाएं शामिल हैं।

डीडीए के अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही रera के पास अपनी परियोजनाओं की कीमत संबंधी, इश्योरेंस प्लान और नियमित प्लान की कॉपी सौंपी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि इन्हीं कुछ चीजों को लेकर

कई गतिरोध का सामना

बताया जाता है कि डीडीए की ओर से लागत की सही जानकारी नहीं दी गई। कुछ प्रोजेक्ट में स्वीकृत प्लान नहीं है। इश्योरेंस पॉलिसी को लेकर भी डीडीए ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। वहीं, कुछ फाइलों में पैन कार्ड की डिटेल्स नहीं हैं। डीडीए ने एक मई 2016 से चल रहे प्रोजेक्ट और शुरू होने वाले प्रोजेक्ट की जानकारी भी नहीं दी। इसके चलते पंजीकरण में कई गतिरोध हैं।

रेरा ने हमारी परियोजनाओं को अस्वीकृत किया था। अब नए सिरे से आवेदन किया जाएगा। रera में हाउसिंग प्रोजेक्ट को पंजीकृत कराने की प्रक्रिया डीडीए ने वर्ष 2019 में शुरू की थी। तब से डीडीए पांच हाउसिंग योजनाएं ला चुका है, लेकिन इनमें से कोई योजना रera में पंजीकृत नहीं हो सकी।

रेरा को जानकारी देना जरूरी : नियमानुसार सभी बिल्डरों और

सरकारी एजेंसियों को अपने रिहायशी प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी रera को देनी होती है और उसमें पंजीकरण भी कराना होता है। इस समय भी डीडीए के एक दर्जन से अधिक प्रोजेक्ट रera के पास पंजीकरण के लिए लंबित हैं। पिछले साल 20 दिसंबर को हुई एक सुनवाई में डीडीए के 14 लंबित मामलों के आवेदन को रera ने अस्वीकृत भी कर दिया था।

प्राइवेट स्कूलों की बढ़ सकती है फीस

File Photo

■ विस, नई दिल्ली : प्राइवेट स्कूल नए अकेडमिक सेशन में फीस बढ़ाने के लिए दिल्ली शिक्षा निदेशालय को अपना प्रोजेक्ट भेज सकते हैं। पिछले दो साल से कोविड-19 की वजह से सरकारी जमीन पर बने प्राइवेट स्कूलों पर फीस बढ़ाने पर रोक लगी थी और स्कूल सरकार के इस आदेश के इंतजार में थे। शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि 2022-23 सेशन की फीस बढ़ाने के लिए एजुकेशन डायरेक्टर की मंजूरी के लिए अब प्राइवेट स्कूल के हेड/मैनेजर अपना प्रोजेक्ट 12 जून से लेकर 27 जून तक भेज सकते हैं। ये वो स्कूल हैं जो सरकार की ओर से अलॉट की गई जमीन पर बने हैं। साथ ही, दिल्ली के एजुकेशन डायरेक्टर की ओर से आदेश जारी कर कहा गया है कि बिना इजाजत ये प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकते। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने साफ किया है कि ऐसा करने पर स्कूल के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

इस सेशन के लिए फीस बढ़ाने का प्रोजेक्ट प्राइवेट स्कूल सिर्फ ऑनलाइन (edu.nic.in) मोड से भेजेंगे। शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि अधूरे प्रोजेक्ट बिना सुनवाई के रद्द कर दिए जाएंगे। एजुकेशन डायरेक्टर किसी अधिकारी या टीम के जरिए सभी प्रोजेक्ट की स्कूटनी करवाएंगे। अगर स्कूल फीस बढ़ाने का प्रोजेक्ट नहीं देता है, तो वो इस सेशन



कवायद

- शिक्षा निदेशालय ने 12 से 27 जून तक का दिया वक्त
- बिना अनुमति फीस बढ़ाने पर स्कूल पर होगा एक्शन : DoE

के लिए फीस भी बढ़ा नहीं सकता। अगर बिना इजाजत फीस बढ़ाने की शिकायत आती है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा और नियम व हाई कोर्ट के फैसले के तहत एक्शन लिया जाएगा। साथ ही, डीडीए को डिफॉल्ट स्कूल की सोसायटी की लीज डीड कैसल करने का अनुरोध किया जाएगा। इसे लेकर डिप्टी एजुकेशन डायरेक्टर (प्राइवेट स्कूल) ने उन सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए आदेश जारी किया है, जो डीडीए या किसी और सरकारी एजेंसी से मिली जमीन पर बने हैं और जिनकी लैंड डीड में शर्त है कि फीस बढ़ाने के लिए इजाजत लेनी होगी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-----

DATED-----

DELHI THE HINDU
FRIDAY, JUNE 10, 2022

पंजाब केसरी

Land 'crisis' for trees may hit development projects: DDA

Urban body seeks permission for compensatory afforestation in neighbouring States, experts say not helpful for Capital

MUNEER KHAN
NEW DELHI

The Delhi Development Authority (DDA), which is facing a shortage of land for carrying out compensatory afforestation, has termed it a "crisis" that will adversely affect upcoming development projects in the Capital.

Compensatory afforestation (CA), according to the Forest Conservation Act, 1980, has to be carried out for any diversion of forest land, or deemed forest land, for non-forest purposes. Agencies carrying out development works are required to compensate for the loss of "land by land" and loss of "trees by trees".

The DDA has raised the issue of land shortage twice since last year – in May 2021 and March this year – in letters sent to the Union Environment Ministry. In 2021, the DDA had provided 119.76 hectares of land to various service providing agencies for CA.

'No acquisition in 30 yrs'
A senior DDA official told *The Hindu* that the urban body has of late not been able to attend to requests from service agencies, which are executing development projects, to provide land for compensatory afforestation. "We have already conveyed to the agencies that there is no land for CA. The DDA has not acquired any land since 1990," he said.

One of the projects that has been affected due to non-allotment of land is the Delhi-Saharanpur Highway being built by the National Highways Authority of India.

In the March 30 letter to the Ministry, DDA's Vice-Chairman Manish Gupta had requested the Ministry to relax the guidelines issued under the Forest Conservation Act (1980) and to allow CA on degraded forest land in



The DDA has raised the issue of land shortage with the Union Environment Ministry twice since last year. *FILE PHOTO

Infrastructure projects may seem necessary but there has to be a proper assessment of their need and cost... Projects should be stopped till the pending CA is completed

DIWAN SINGH
Environmentalist

neighbouring States for projects implemented by the Centre and PSUs.

'Exceptional case'

The DDA's letter cited paragraph 2.3(v) of chapter 2 of the Handbook of Forest Conservation Act, which states: "In exceptional cases, where non-forest land for CA is not available in the same State/UT in which the diversion of forest land is proposed, land for CA can be identified in any other State/UTs, preferably in neighbouring State/UTs. The corresponding amount for carrying out CA shall be deposited in the CAMPA account of the State/UT in which CA is proposed."

The senior DDA official stated that the ministry is yet to respond to the letter.

However, a senior official at the Ministry said the DDA can go ahead with CA in neighbouring States by coordinating with the respective governments and it does not require the Ministry's per-

mission for the purpose.

"What they are seeking is an exclusive relaxation in terms of carrying out compensatory afforestation, which is not possible. If the [Central] government relaxes it, then it will be for everyone. I find it hard to believe that an agency which owns over 80% of the land in Delhi says that it has no land left for CA," said the senior official at the Environment Ministry.

The DDA's proposal to carry out CA in neighbouring States has not impressed environmental experts. Diwan Singh, an environmentalist, said the proposed move will not benefit the Capital.

"CA is done for damage control purposes, which is caused by cutting of trees for development projects. If we do it in a neighbouring State, then it will help the neighbouring State," said Mr. Singh. He added that the urban body running out of land for recreational purposes – including CA – is a clear sign that the Capital is running out of its planning capacity.

"Infrastructure projects may seem necessary but there has to be a proper assessment of their need and cost. It is more damaging to the city in the environmental aspect if they [DDA] don't have land for CA. Projects should be stopped till the pending CA is completed," said Mr. Singh.

रेरा में पंजीकरण के लिए फिर कोशिश करेगा डीडीए

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अपनी आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं को रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) में पंजीकृत कराने के लिए डीडीए की ओर से नए सिरे से प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक रera के नियमों पर खरा नहीं उतरने के कारण डीडीए की 14 परियोजनाओं को रera द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है। बीते वर्षों में आई पांच आवासीय योजनाएं भी इसमें शामिल हैं। डीडीए के अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही रera के पास अपनी परियोजनाओं की कीमत संबंधी, इश्योरेंस प्लान और नियमित प्लान की कॉपी सौंपी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि इन्हीं कुछ चीजों को लेकर रera ने हमारी परियोजनाओं को अस्वीकृत किया था। अब इन सब चीजों को शामिल कर नए सिरे से आवेदन किया जाएगा। रera दिल्ली में अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट को पंजीकृत करवाने की

प्रक्रिया डीडीए ने वर्ष 2019 में शुरू की थी। इसके बाद से अब तक डीडीए पांच हाउसिंग योजनाएं ला चुका है, लेकिन इनमें से कोई योजना रera में पंजीकृत नहीं हो सकी। नियमानुसार सभी बिल्डिंग और सरकारी एजेंसियों को अपने रिहायशी प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी रera को देनी होती है और उसमें पंजीकरण भी करवाना होता है। बताया जाता है कि इस समय भी डीडीए के एक दर्जन से अधिक प्रोजेक्ट रera के पास पंजीकरण के लिए लंबित हैं। पिछले साल 20



दिसंबर को हुई एक सुनवाई में डीडीए के 14 लंबित मामलों के आवेदन को रera ने अस्वीकृत भी कर दिया था। वहीं, अधिकारियों का कहना था कि डीडीए सरकारी एजेंसी है और इसके सभी प्रोजेक्ट में अपना ही पैसा लगा होता है। पंजीकरण की अनिवार्यता वहां होनी चाहिए, जहां बिल्डर फ्लैट बुक करके अग्रिम पैसा लेते हैं।